

दैनिक आगाज़ इंडिया

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड ने ज्ञानेश्वर खैरनार को टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया

नेपानगर-आगाज़ इंडिया

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम-1971 के अंतर्गत टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया गया है। वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।



ज्ञात हो कि, नेपा लिमिटेड में पिछले लगभग एक वर्ष से यह पद रिक्त था। इस नियुक्ति के साथ, ज्ञानेश्वर खैरनार लोक परिसर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इसके अधीन

अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित पूरे नेपा लिमिटेड परिवार ने ज्ञानेश्वर खैरनार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।



सिटी

आस-पास

नेपा लिमिटेड में ज्ञानेश्वर खैरनार संपदा अधिकारी नियुक्त हुए

नेपानगर @ पत्रिका . केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक व प्रशासन ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971 के तहत टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया गया है। वे अधिनियम की धारा 3



के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

ज्ञात हो कि नेपा लिमिटेड में पिछले लगभग एक वर्ष से यह पद रिक्त था। इस नियुक्ति के साथ ज्ञानेश्वर खैरनार लोक परिसर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित पूरे नेपा लिमिटेड परिवार ने ज्ञानेश्वर खैरनार को शुभकामनाएं दी हैं।



बुरहानपुर 19-03-2025

ज्ञानेश्वर खैरनार नेपा मिल के संपदा अधिकारी नियुक्त हुए

नेपानगर। केंद्रीय भारी उद्योग का दायित्व निर्वहन करेंगे। मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड दरअसल नेपा मिल में पिछले के वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक और लगभग एक साल से यह पद प्रशासन ज्ञानेश्वर खैरनार को रिक्त था। इस नियुक्ति के साथ लोक परिसर अनधिकृत खैरनार लोक परिसर अधिनियम अधिभोगियों की बेदखली के तहत दिए गए अधिकारों का अधिनियम 1971 के तहत उपयोग करेंगे। नियुक्ति पर टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया सीएमडी राकेश कुमार चोखानी गया है। इस अधिनियम की धारा सहित नेपा मिल के अफसरों ने 3 के तहत वे संपदा अधिकारी हर्ष जताया है।

नेपा लिमिटेड में ज्ञानेश्वर खैरनार को संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया

दैनिक खबरों की रोशनी जिला ब्यूरो चीफ रविंद्र इंगले बुरहानपुर। नेपानगर में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक(कार्मिक एवं प्रशासन)ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर(अनधिकृत अधिमोगियों की बेदखली)अधिनियम-1971 के अंतर्गत टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया गया है। वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।



ज्ञात हो कि,नेपा लिमिटेड में पिछले लगभग एक वर्ष से यह पद रिक्त था। इस नियुक्ति के साथ, ज्ञानेश्वर खैरनार लोक परिसर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित पूरे नेपा लिमिटेड परिवार ने ज्ञानेश्वर खैरनार को

ज्ञानेश्वर खैरनार नेपा लिमिटेड में संपदा अधिकारी नियुक्त

नईदुनिया संजय चौहान 9406689018

नेपानगर: नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक- एवं प्रशासन ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर में टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया गया है। वे अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। उनकी नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित नेपा

लिमिटेड के अधिकारी, कर्मचारियों ने बधाई दी है। जनसंपर्क अधिकारी संदीप ठाकरे ने बताया कि नेपा लिमिटेड में लगभग एक वर्ष से यह पद रिक्त था। नियुक्ति के साथ ज्ञानेश्वर खैरनार लोक परिसर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इसके आधीन कर्तव्यों का पालन करेंगे।

नेपा लिमिटेड में ज्ञानेश्वर खैरनार बने संपदा अधिकारी, टाउनशिप प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे

प्रदेश स्वराज ► डॉ. मनोज गोरे

☎ 94240 26198

बुरहानपुर। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन नेपा लिमिटेड ने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत टाउनशिप प्रशासक एवं संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया है। ज्ञात हो कि नेपा लिमिटेड में यह पद पिछले एक वर्ष से रिक्त था। अब इस नियुक्ति के साथ, ज्ञानेश्वर खैरनार अधिनियम की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। उन्हें टाउनशिप प्रशासन को सुव्यवस्थित करने, अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली, अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और संपत्ति से जुड़े



मामलों का निपटारा करने का अधिकार प्राप्त होगा। नेपा लिमिटेड के सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित पूरे नेपा परिवार ने ज्ञानेश्वर खैरनार को शुभकामनाएं दी हैं और आशा जताई है कि उनकी नियुक्ति से कंपनी की संपदा एवं टाउनशिप प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता आएगी।

12:32 am

प्रदेश स्वराज

www.pradeshswaraaj.com

19 Mar 2025 - Page 1

नेपा लिमिटेड में ज्ञानेश्वर खैरनार को संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया



नेपानगर ■ ध्रुव वाणी।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम-1971 के अंतर्गत टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया गया हैं। वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। ज्ञात हो कि, नेपा लिमिटेड में पिछले लगभग एक वर्ष से यह पद रिक्त था। इस नियुक्ति के साथ, ज्ञानेश्वर खैरनार लोक परिसर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित पूरे नेपा लिमिटेड परिवार ने ज्ञानेश्वर खैरनार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

नेपा लिमिटेड में ज्ञानेश्वर खैरनार को संपदा अधिकारी किया नियुक्त

स्वदेश समाचार ■ बुरहानपुर

केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रम नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)



अधिनियम-1971 के तहत टाउनशिप प्रशासक एवं संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे अधिनियम की धारा 3 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

इस नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी समेत नेपा लिमिटेड के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ज्ञानेश्वर खैरनार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और उनके कार्यकाल में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की उम्मीद जताई है।